फर्द अहकाम

रामलाल सैनी **बनाम** ओमप्रकाश वगैरह

नाम न्यायालय ACM (FT) शाहपुरा - जयपुर   दावा - 53,188 R.T.A.

केस संख्या 01/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशे
	7/10/24 लगातार	किया गया। चूंकि प्रकरण में प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 18/3/24 को अमल में लाई गई थी एवं वारिसान प्रतिवादी सं. 1 के नाम पक्षकारान दर्ज किये हैं जबकि एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त कर जवाबदेही हेतु कोई आवेदन पेश नहीं किया है। प्रकरण में कुर्कीजात रिपोर्ट को चार वर्ष हो चुके हैं। प्रकरण निस्तारण हेतु अंतिम चरण में लंबित है। प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्त अनुसार प्रकरण का शीघ्र निस्तारण किया जाना उचित है। वारिसान प्रतिवादी द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त कर जवाबदेही पेश करने हेतु कोई आवेदन समय पर पेश नहीं करने से जाहिर होता है कि वारिसान प्रतिवादी सं. 1 प्रकरण को देरी करना चाहते हैं अतः वारिस प्रतिवादी द्वारा कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने से वारिस प्रतिवादी सं. 1 को प्रकरण में मुक्त करना उचित नहीं समझता है। प्रतिवादी सं. 5 के विवादग्रस्त आराजीयात का मौका निरीक्षण कर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया। सूचित करें। पत्रावली वास्ते मौका निरीक्षण व आदेशार्थ हेतु दिनांक 24/10/24 (24/10/24) को पेश हो। sd/- **सहायक कलक्टर** शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.	
	24/10/24	पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में विवादग्रस्त आराजी का मौका देखा गया। पत्रावली व कुर्कीजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरान्त एवं मौका निरीक्षण उपरान्त प्रकरण में प्राप्त कुर्कीदार रिपोर्ट सही प्रतीत होती है। अतः दावा कुर्कीदार रिपोर्ट अनुसार नाजिम डिक्री किया जाता है। फैसला अलग से लिखा जाकर सुनाया गया। डिक्री पृथक शामिल है। पत्रावली नियमानुसार बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। sd/-	

काबिज काश्त करते चले आ रहे है तथा आज भी मौके पर अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त है। वाद पत्र के खण्ड सं0–1 में वर्णित आराजी वादी सं0–1 व 2 व प्रतिवादी सं0–1 लगायत 5 की सहखातेदारी की भूमि है जिसमें वादी सं0–1 व 2 व प्रतिवादी सं0–1 लगायत 5 का हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जबकि बाहमी बंटवारा मनबट के आधार पर सभी खातेदारान अलग अलग काश्त करते है जबकि प्रश्नगत आराजी का आज तक वैधानिक बंटवारा नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण ने वादीगण के खिलाफ एक नाजायज संगठन बना रखा है जिसके चलते आये दिन सीमा विवाद व डोल विवाद करते है तथा विशिष्ट भू–भाग पर काबिज होने व वादी को बाहमी बंटवारे से बेदखल करने की धमकी देते है जिस कारण शामलाती में काश्त करना संभव नहीं रहा है। दिनांक–02.11.2022 की वादीगण ने प्रतिवादीगण से मौके पर काबिज काश्त के मुताबिक कानूनी बंटवारा करवाने व अलग अलग लगान निर्धारण करवाकर अपने अपने हिस्से की भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन करवाने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादीगण एकदम नाराज हो गये तथा वादीगण के साथ आमादा फिसाद हो गये तथा गाली गलौच कर कानूनी बंटवारा हेतु मना कर दिया तथा खुले में एलानियाँ धमकी दी कि हम प्रश्नगत आराजी के विशिष्ट भु–भाग पर कब्जा करके रहेगे तथा जहाँ पहले से हमारे मकानो के पास वाली भूमि पर काबिज है उस बंटवारा को हम नहीं मानेगे तथा वादीगण को उनके हिस्से से बेदखल करके रहेंगे तथा किसी भी कीमत पर कानूनी बंटवारा नहीं होने देगें एवं स्पष्ट रूप बंटवारा हेतु इंकारी हो गये जिस कारण वादीगण को अपने विधिक अधिकारो की सुरक्षार्थ वाद पत्र पेश करना लाजमी हुआ है। वादी वाद पत्र के खण्ड सं0–1 में वर्णित आराजी मुतनाजा का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने तथा वाद पत्र की खण्ड सं0–3 के मुताबिक बाहमी बंटवारा अनुसार काबिज काश्त होने तथा प्रश्नगत आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा करवाने व प्रतिवादी सं0–1 लगायत 5 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का पूर्ण अधिकारी है।

अन्त में निवेदन किया कि हाल आराजी खाता सं0–672 के खसरा नं0–194/0.26 है0 किता 1 रकबा 0.26 है० वाके ग्राम बिदारा, तह०शाहपुरा, जिला जयपुर का राजस्थान रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार बाहमी बंटवारा व काबिज काश्त के अनुसार कानूनी बंटवारा किया जावे तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने की आज्ञा प्रदान करे एवं प्रतिवादी सं0–1 लगायत 5 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से सदैव सदैव के लिए इस कदर पाबन्द फरमाया जावे कि वे वाद पत्र के खण्ड सं0–1 में वर्णित आराजी मुतनाजा मे से वादीगण के हिस्से में आई भूमि के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग व काश्त में किसी प्रकार की बेजा मदाखलत ना वे स्वंय पैदा करे ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट अथवा उत्तराधिकारीयो से करावे जबकि वादी को शांति

... काबिज व आबाद रहकर काश्त करने देवे तथा आराजी मुतनाजा के मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। पाबन्द फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत सम्मन जारी किये गये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 5 शंकरलाल स्वयं उपस्थित आया। प्रतिवादी संख्या 5 ने जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया। नकल दिलाई गई। वकील वादी ने जवाब काउण्टर क्लेम पेश किया। प्रकरण में दिनांक 11.03.2024 को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 बाद तामील व बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी एवं वकील वादी ने जवाब उल जवाब पेश किया। प्रकरण में दिनांक 18.03.2024 को प्रतिवादी संख्या 1, 4, 6, 7 बाद तामील व सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रकरण में उभयपक्ष की जवाब काउण्टर क्लेम, जवाब उल जवाब पर आपत्ति प्रार्थना–पत्र व प्रतिवादी संख्या 5 की लिखित बहस व प्राथमिक डिक्री हेतु बहस को सुना गया। प्रकरण में दिनांक 27.03.2024 को प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा पेश काउण्टर क्लेम व आपत्ति को सारहीन होने से खारिज किया जाकर दावा प्राथमिक डिक्री किया गया एवं तहसीलदार शाहपुरा को बंटवारा प्रस्ताव भिजवाने बाबत् निर्देशित किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2024/2119 दिनांक 02.05.2024 के द्वारा बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ। प्रतिवादी संख्या 5 ने उक्त बंटवारा प्रस्ताव पर आपत्ति पेश की। वकील वादी ने आपत्ति का जवाब पेश नहीं कर सीधी बहस की। बहस सुनी गई। पत्रावली व बंटवारा प्रस्ताव एवं आपत्ति प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत आपत्ति प्रार्थना–पत्र न्यायिक दृष्टि से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को उभयपक्ष की उपस्थिति में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने बाबत् निर्देशित किया गया। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2024/3488 दिनांक 10.07.2024 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। दिनांक 12.07.2024 को अधिवक्ता रामकिशोर यादव ने प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकालतनामा पेश किया एवं आवेदन आदेश 9 नियम 7 151 सीपीसी पेश करने हेतु अवसर चाहा। दिनांक 07.10.2024 को पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व प्रतिवादी संख्या 5 ने प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस की। प्रतिवादी संख्या 5 ने प्रकरण में न्यायालय श्रीमान् स्वयं विवादग्रस्त आराजीयात का मौका निरीक्षण कर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार निस्तारण के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया। इस पर वकील वादी ने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। वकील वादी ने प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अंतिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण में विवादग्रस्त आराजीयात का मौका निरीक्षण किया गया। पक्षकार मौके पर उपस्थित आये। उपस्थित पक्षकारों ने अपने–अपने कथन जाहिर किये। उपस्थित

पक्षकारों को सुना गया। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत एवं मौका निरीक्षण उपरांत प्रकरण में प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट सही प्रतीत होती है एवं पक्षकारान् को जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार भूमि सरस–नरस के आधार पर विभाजित की गई है। अतः कुर्रेजात रिपोर्ट सही प्रतीत होने से दावा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। हाल आराजी खाता सं0–672 के खसरा नं0–194/0.26 है0 किता 1 रकबा 0.26 है० वाके ग्राम बिदारा, तह०शाहपुरा, जिला जयपुर की भूमि का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं :–

1. **रामलाल सैनी पुत्र भंवरलाल सैनी हि0 पूर्ण जाति माली सा0 शाहपुरा खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 194/1 रकबा 0.13 है0 भूमि रहेगी।**
2. **छोटी देवी पत्नि हनुमान सहाय हि0 पूर्ण जाति जाट सा0 शाहपुरा खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 194/2 रकबा 0.1083 है0 भूमि रहेगी।**
3. **शंकरलाल पुत्र सुवालाल हि0 1/5, ओमप्रकाश पुत्र सुवालाल हि0 1/5, कमला देवी पुत्री सुवालाल हि0 1/5, निर्मला देवी पुत्री सुवालाल हि0 1/5, प्रभाती देवी पुत्री सुवालाल हि0 1/5 जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 194/3 रकबा 0.0217 है0 भूमि रहेगी।**

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24/10/24 को सरे इजलास सुनाया गया।

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर , आर. ए. एस.

वाद संख्या :– 01/2023, जीसीएमएस संख्या 2023/1

उनवान

1. रामलाल सैनी पुत्र भंवरलाल सैनी, जाति माली, निवासी वार्ड नं0 11, तन खोरी, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
2. छोटी देवी पत्नि हनुमान सहाय, जाति जाट, निवासी नटवाडियों की ढाणी, शाहपुरा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

–वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र सुवालाल निवासी ढाणी पेमावाली, वार्ड नं0 7 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
2. कमला देवी पुत्री सुवालाल पत्नि कैलाश चन्द, निवासी बिजली ग्रेड के आगे विराटनगर, तह0 विराटनगर, जिला जयपुर, राज0।
3. निर्मला देवी पुत्री सुवालाल पत्नि महेश चन्द शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी गायत्री गार्डन के पास विराटनगर, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
4. प्रभाती देवी पुत्री सुवालाल पत्नि स्व0 मालीराम शर्मा निवासी हलकारों का मौहल्ला मनोहरपुर, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
5. शंकर लाल पुत्र सुवालाल, निवासी ढाणी पेमावाली वार्ड नं0 7, शाहपुरा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान।
7. उपपंजीयक, उपंपजीयन कार्यालय–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक :– 24/10/2024

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। हाल आराजी खाता सं0–672 के खसरा नं0–194/0.26 है0 किता 1 रकबा 0.26 है0 वाके ग्राम बिदारा,

तह०शाहपुरा, जिला जयपुर की भूमि का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं :–

1. रामलाल सैनी पुत्र भंवरलाल सैनी हि0 पूर्ण जाति माली सा0 शाहपुरा खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 194/1 रकबा 0.13 है0 भूमि रहेगी।
2. छोटी देवी पत्नि हनुमान सहाय हि0 पूर्ण जाति जाट सा0 शाहपुरा खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 194/2 रकबा 0.1083 है0 भूमि रहेगी।
3. शंकरलाल पुत्र सुवालाल हि0 1/5, ओमप्रकाश पुत्र सुवालाल हि0 1/5, कमला देवी पुत्री सुवालाल हि0 1/5, निर्मला देवी पुत्री सुवालाल हि0 1/5, प्रभाती देवी पुत्री सुवालाल हि0 1/5 जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 194/3 रकबा 0.0217 है0 भूमि रहेगी।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो।

आज दिनांक को उक्त डिक्री 24/10/24 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

(संजीव कुमार खेदर)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला जयपुर, ग्रामीण

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड		जोड	